

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 15.03.2025

01 अदद अवैध रिवाल्वर के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बांसगांव के नेतृत्व में 30नि0 नन्दलाल यादव मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त विपिन मिश्रा उर्फ छोटू को 01 अदद अवैध रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0136/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा बरईपार से परसिया मार्ग पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विपिन मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र नरपत मिश्रा निवासी बरईपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 136/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध रिवाल्वर

गिरफ्तारी की टीम

1. 30नि0 नन्दलाल यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 रावेन्द्र पाल थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. का0 संजीव कुमार वर्मा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. का0 सोनू यादव प्रथम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

